निर्णय बईजलास भवानी सिंह पालावत, आर0ए0एस0, अति0जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण सख्या 21/17

दायरा– 01.09.17

राजस्थान सरकार जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल

बनाम

पूनमचन्द आ0 हुक्मचंद बसेड़ा निवासी बसेड़ा मोहल्ला झालावाड़

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :– गैर सायल स्वंय

–: आदेश :–

दिनांक:– 30.01.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की और से पूनमचन्द आ0 हुक्मचन्द बसेड़ा निवासी बसेड़ा मोहल्ला झालावाड़ के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 4606 दिनांक 04.08.17 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरूद्व थाना झालावाड़ में निम्न मुकदमें दर्ज है :–

क0स0	प्रकरण संख्या	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	29/14	13 आरपीजीओ	दिनांक 30.01.14 को 100 रूपये जुर्माना
2	485/14	13 आरपीजीओ	दिनांक 08.01.15 को 50 रू0 जुर्माना

जिनमे न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को दोषी मानकर जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया है। उपरोक्त आपराधिक अभिलेख से स्पष्ट है कि यह व्यक्ति बदमाश किस्म काहै जो आये दिन जुआ सटटा के अपराध का सक्रिय है एवं आदतन अपराधी है । गेर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्व गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस द्वारा तलब किया गया उसके उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा गिरफतारी वारण्ट से तलब किये जाने पर आज दिनांक 30.01.2018 को जरिये पुलिस गिरफ्तार कर पेश किया गया। अभियुक्त को आरोप पत्र दिखाया गया। सायल द्वारा मौखिक अनुरोध किया गया कि गैर सायल अब शाति/सदभावना पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, केवल 2 प्रकरण 13 आरपीजीओ के दर्ज है । अतः प्रकरण समाप्त कर गैर सायल को बरी किया जावे।

मैंने गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूॅ और निम्न आदेश पारित करता हूॅ।

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

—: आदेश :—

पूनमचन्द आ0 हुक्मचन्द बसेड़ा निवासी बसेड़ा मोहल्ला झालावाड को 7 (सात) दिन के लिए थाना झालावाड़ जिला झालावाड़ की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। उक्त अवधि मे वह न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000 रू0 (दस हजार रूपये) का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.18 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर सुनाया गया। आज मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
अति0जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड